न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 10/2018

बउनवान

हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री रामकल्याण जाति–माली निवासी–धाकडिया पाडा, बारां तहसील व जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

रोडीबाई पत्नी श्री देवीलाल जाति–एरवाल निवासी–खजूरपुरा वार्ड,बारां तहसील व जिला–बारां (राज0) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील बनाराजगी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा प्रकरण संख्या 06/2016 रोडीबाई बनाम हेमराज में पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री बृजराज सिंह हाडा,अभिभाषक **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक– 26.10.2020

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखली के आदेश पारित किये है। उक्त निर्णय खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो का समुचित विवेचन नहीं करके निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश से उसके भाई की खरीदशुदा व काबिजाना एवं मालिकाना हक व अधिकार की ग्राम नियाना तहसील–बारां की 30 गु णा 80 फुट कुल 2400 वर्गफुट भूमि प्लाट संख्या–02 विजय नगर कॉलोनी पर से अपीलांट का खरीद दिनांक 10.5.2010 से कब्जा होने के बाबजूद उसे बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट का उक्त आराजी पर पूर्व से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर भारी भूल की है। उक्त आराजी ख0नं0 317 की विवादित आराजी बाबूलाल पुत्र खेमचन्द जाति–मेघवाल निवासी खेडली भेडोलिया के खातेदारी आराजी है जिनके द्वारा उक्त आराजी आबादी के निकट व काश्त योग्य नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर विजय नगर कॉलोनी के नाम से प्लानिग कर, भूमि को प्लाटो को रूप में बेचान किया, जिसमें से प्लाट नं0 2 अपीलांट के भाई बृजराज सिंह ने लिया उस पर दुकान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.24 12:55:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्माण करवाया जिसमें अपीलांट चाय की दुकान लगाकर अपना व परिवार का भरणपोषण करता है। किन्तु रेस्पोडेंट क्रम–1 ने न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में आदेश करवा लिया है। वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेंट का, अपीलांट के भाई के खरीदशुदा प्लाट की भूमि से कोई संबंध नहीं है। वह अपनी अनुसूचित जाति की महिला होने का बेजा फायदा उठाकर कानून की बारिकियों के आधार पर बेईमानी पूर्वक न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधार प्रस्तुत कर, अपीलांट की कब्जाशुदा उपयोग व उपभोग की भूमि पर जबरना कब्जा कर हडपने का प्रयास कर रहीं है। ताकि उक्त आदेश की आड में प्रार्थी की दुकान हटवायी जा सके। जबकि रेस्पोडेंट का उक्त प्लाट की आराजी से कोई संबंध नहीं है। उसका खसरा नम्बर 769/317 है तथा प्रार्थी की दुकान खसरा नम्बर 317 में बनी हुई है। इस कारण अपीलांट रेस्पोडेंट को उक्त दुकान एवं उसकी भूमि पर हस्तक्षेप न करने के लिए पाबन्द करवा पाने का अधिकारिणी व नालिशी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कतई गौर न करके मनमर्जी तरीके से रेस्पोडेंट के पक्ष में आदेश सुनाया गया है जो कानूनी रूप से खारिज होने योग्य है।

2– रेस्पोडेंट द्वारा कथित विवादित आराजी पर अपीलांट के भाई का खरीदशुदा प्लाट एवं उसपर निर्मित दुकान अवस्थित है जिसे रिकार्डेड खातेदार द्वारा काटी गई कॉलोनी के नक्शे अनुसार हीं निर्माण करवाया गया है। उक्त मामले में रेस्पोडेंट द्वारा न तो अपीलांट के भाई नंदलाल को पक्षकार बनाया गया, जो प्लाट व दुकान का वास्तविक स्वामी है तथा ना हीं भूमि के रेकार्डेड खातेदार बाबूलाल पुत्र खेमचन्द को पक्षकार बनाया गया है, जो आराजी के वास्तविक मालिक का निर्धारण कर सकता था। रेस्पोडेंट द्वारा जानबूझकर दोनो पक्षकारों को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा विवादित आराजी का सीमाज्ञान कराये बिना एवं आवश्यक पक्षकारों की सुनवाई किये बिना, अपीलांट के कब्जे में हस्तक्षेप करना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर देने के आदेश फरमाये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम नियाना तहसील बारां से बेदखल कर, प्रार्थीयॉ रोडीबाई को कब्जा सम्भलाये जाने के आदेश पारित किये गये है। जबकि अपीलांट का रेस्पोडेंट की आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है ना की कोई सरोकार है। अपीलांट का प्लाट नं0 2 विवादित आराजी में अवस्थित नहीं है। उक्त प्लाट अपीलांट के भाई नंदलाल ने खातेदार श्री बाबूलाल पुत्र खेमचन्द से आराजी ख0नं0 317 में

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.24 12:55:35 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार विजय नगर कॉलोनी, बारां के नाम से आवासीय कॉलोनी में प्लाट काटकर बेचाने पर, प्लाट नं0 2 साईज 30 गुणा 80 कुल 2400 वर्गफुट को दिनांक 19.05.2010 को क्रय किया था। जिसपर कॉलोनी के नक्शे अनुसार हीं निर्माण कराया है तथा वर्तमान में उक्त प्लाट पर निर्बाध रूप से उसका कब्जा व मालिकाना हक है। रेस्पोडेंट क्रम–1 ने खातेदार से पृथक से आराजी क्रय की है, जिसका राजस्व रेकार्ड में ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम नियाना पृथक से दर्ज है। उसका प्लाट ख0नं0 317 में है। इसलिये रेस्पोडेंट का अवस्थित प्लाट से कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेंट ने अनुसूचित जनजाति व महिला होने का फायदा उठाकर कतिपय झूठे तथ्य प्रस्तुत कर, प्रकरण दर्ज कराया गया है। जबकि रेस्पोडेंट को यह पता था कि अपीलांट के भाई ने खातेदार से प्लाट खरीद रखा है तथा उन प्लाट को छोडकर शेष कितनी भूमि है, उसके संबंध में रेस्पोडेंट ने दिनांक 14.05.2013 को खातेदार से इकरारनामा तहरीर कराया है जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया है कि खातेदार ने अपीलांट के भाई नंदलाल को ख0 नं0 317 की आवासीय कॉलोनी में उक्त प्लाट बेच रखा है, जिसकी गवाह स्वंय रेस्पोंडेट रोडीबाई रहीं है। रेस्पोडेंट को विवादित आराजी की सम्पूर्ण जानकारी होने के बाद भी अपीलांट के प्लाट की जमीन हडपने पर आमादा है।

5– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया ना हीं उक्त प्लाट नं0 2 के मालिक नंदलाल एवं मूल खातेदार को पक्षकार बनाया गया। मात्र प्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय बेदखली के आदेश पारित किये है। जबकि अपीलांट के प्लाट मे रेस्पोडेंट की कोई भूमि शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो ख0नं0 317 की सम्पूर्ण आराजी का सीमाज्ञान कराया। ना हीं प्रभावित मूल पक्षकारों की सुनवाई व साक्ष्य ली गयी। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेंट को दिनांक 21.3.2018 को गवाह सबूत के लिये अवसर दिया था। किन्तु अपीलांट को अनुपस्थित बताकर, अप्रार्थीयॉ की ओर से देवीलाल के बयान या शपथपत्र लेकर पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट की ओर से ना तो अधीनस्थ न्यायालय में गवाह सबूत लिये गये ना हीं अप्रार्थीयॉ की गवाह से जिरह करने का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, रेस्पोडेंट के प्रभाव में एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.04.2018 निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी की पैमाइश व प्रभावित पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर, निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड फरमायी जावे।

6– इसके विपरीत रेस्पोडेंट अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के कथन व तर्को का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी ख0नं0 317 पूर्वी का रकबा 0.20 है0 सहखातेदार बाबूलाल पुत्र खेमचन्द मेघवाल के जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 14.07.2010 को क्रय की है जिसका नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 17.6.2013 दर्ज है। वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थीयॉ का नाम ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 दर्ज है। जिसपर अपीलांट हेमराज ने रेस्पोडेंट की आराजी के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर उसकी आराजी को

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.24 12:55:35 IST
Reason: SelfAttested

अपने प्लाट में मिला लिया है तथा कब्जा कर रखा है। रेस्पोडेंट ने अपीलांट को कई बार उसकी आराजी से कब्जा हटाने को कहा। किन्तु अपीलांट ने कब्जा नहीं हटाया है तथा गालीगलोच करता है। रेस्पोडेंट अनुसूचित जनजाति की महिला है, जो इन व्यक्तियों ने लडाई झगडा करने में असमर्थ है। रेस्पोडेंट ने इस संबंध में कानूनन अपीलांट के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना दर्ज करायी है। जिसपर माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/ज.जा., बारां ने प्रसंज्ञान लिया गया है जिसमें अपीलांट को दोषी माना गया है।

7— रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को कब्जा हटवाने के लिये प्रार्थनापत्र पेश किया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को धारा, 183(बी) में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित हुआ है किन्तु अपीलांट ने साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई कर, बेदखली का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी का सीमाज्ञान नहीं किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी सम्बलपुर से तलब की गयी है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 04.7.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट हेमराज ने प्रार्थीयॉ की खातेदारी भूमि पर 3—4 मीटर पर कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की दिनांक 21.5.2018 को पुनः पैमाइश करायी गयी है, जिसमें भी हल्का पटवारी ने अपीलांट को रेस्पोडेंट की आराजी पर अनाधिकृत कब्जा नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। इस प्रकार अपीलांट, रेस्पोडेंट की आराजी पर अतिक्रमी है।

8— रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति की महिला है जिसने उक्त आराजी खातेदार से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। अपीलांट सामान्य वर्ग से है, जिसने उसकी खातेदारी आराजी पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को खातेदारी आराजी पर बतोर अतिक्रमी पाये जाने पर, बेदखली के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश पूर्णतया विधिसम्मत एवं तार्किक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई कानूनी या विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

9— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया इससे पाया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 769/317 रकबा 0.20 है0 रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज है, जो ख.नं0 317 का भाग है। रेस्पोडेंट ने उक्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2010 को सहखातेदार बाबूलाल से क्रय की है। अपीलांट द्वारा उसके खातेदारी की आराजी पर अतिक्रमण करने पर, रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष दिनांक 18. 05.2016 को बेदखली के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को धारा, 183(बी) के तहत दर्ज कर, पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई की गयी है तथा विवादित आराजी की हल्का पटवारी सम्बलपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट गेंदीबाई की खातेदारी आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.24 12:55:35 IST
Reason: SelfAttested

लगभग 3 मीटर x 4 मीटर पर कब्जा कर अपने प्लाट में मिला रखा है। अपीलांट ने सुनवाई के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये तथा रेस्पोडेंट की ओर से साक्ष्य सबूत देवीलाल पेश किये गये है।

10— अपीलांट का बहस के दौरान मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी पर बताये गये अतिक्रमित प्लाट नं0 2 के मालिक नंदलाल एवं उक्त आराजी के मूल खातेदार बाबूलाल पुत्र खेमचंद मेघवाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है, ना हीं उसको सुनवाई का अवसर दिया गया है। मात्र अपीलांट के विरूद्व बेदखली के आदेश पारित किये है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि रेस्पोडेंट रोडीबाई अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य है तथा विवादित आराजी ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 की खातेदार है, जिसकी खातेदारी भूमि पर अपीलांट सामान्य वर्ग का कब्जा है। धारा, 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्व बेदखली की समरी ट्रायल कार्यवाहीं है, जो सिर्फ अतिक्रमी के विरूद्व बेदखली पर लागू है। प्रकरण में अपीलांट बतोर अतिक्रमी पाया गया है।

11— इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई कर, अपीलांट को रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजी ख0नं0 769/317 रकबा 0.20 है0 की पश्चिमी मेर पर बतौर अतिक्रमी पाये जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

12— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.11.24 12:55:35 IST
Reason: SelfAttested